Mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/कपास/सीसीआई/ 4335 भोपाल, दिनांक 21/03/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय इंदौर।

विषय - भारतीय कपास निगम द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन में विक्रय घोष द्वारा क्रय किए गए कपास की तुलाई पारिश्रमिक दिलाए जाने के संबंध में।

संदर्भ - तुलावटी संघ, कृषि उपज मंडी समिति खरगोन का पत्र दिनांक 22/11/2023।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। तुलावटी संघ, कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन के द्वारा भारतीय कपास निगम द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन में विक्रय घोष द्वारा क्रय किए गए कपास का तुलाई पारिश्रमिक दिलाए जाने बावत पत्र प्राप्त हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

तुलावटी की समस्याओं के संबंध में कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 05/10/2023 एवं पत्र दिनांक 02/11/2023 में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है। उक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। तदानुसार उक्त आदेश/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएं।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

20/03/24

संयुक्त संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/कपास/सीसीआई/ 4336 भोपाल, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि :-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।

20/03/24

संयुक्त संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

राष्ट्र हित   रजि. 6123/02/2006   उद्योग हित   श्रमिक हित

म.प्र. कृषि उपज मण्डी मजदूर महासंघ

जिला......खरगोन.........म.प्र.

संबद्ध : कृषि उपज मण्डी मजदूर महासंघ भोपाल (म.प्र.)

संबद्ध - भारतीय मजदूर संघ

नाम सुनिल माली

पद जिला उपाध्यक्ष

कार्या: ...खरगोन.............(म.प्र.)

फोन एवं फेक्स : 0755-2764413

मो. 9827600691

E-mail: malisunil1403@gmail.com

पत्र. :

दिनांक :

Mail/3191 22/11/2023 Add Dir (नियमन)

प्रति,

श्रीमान प्रबंधक संचालक महोदय,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल म.प्र.

द्वारा:- श्रीमान सचिव महोदय कृषि उपज मंडी समिति खरगोन।

विषय:- भारतीय कपास निगम द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खरगोन में विक्रय घोष द्वारा क्रय किये गये कपास का तुलाई पारिश्रमिक दिलाये जाने बाबद्।

संदर्भ:- (1) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर का पत्र कंमाक/नियमन/2020-21/4451 दिनांक 22.11.2021
(2) कृषि उपज मंडी समिति खरगोन का आदेश कंमाक/मंडी/ह.तु/2021-22/1272 दिनांक 08.12.2021
(3) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का आदेश कंमाक/ बोर्ड/बी-6/नियमन/ तुलावटी/248/3834 दिनांक 05.10.2023

महोदय जी,

--00--

उपरोक्त विषय एंव संदर्भित पत्रो के अनुसार महोदय जी से नम्र निवेदन है कि दिनांक 15.10.2023 से भारतीय कपास निगम द्वारा खरगोन कृषि उपज मंडी में जो कपास खरीदी की गई है। उसका तौल कार्य बडे इलेक्ट्रानिक तौलकांटो पर मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी तुलावटीयो द्वारा तौल कार्य चक्रपध्दती से किया जा रहा है। जिसका तुलाई पारिश्रमिक भुगतान मंडी समिति द्वारा निर्धारित दर 2 रु. प्रति क्विंटल की दर से किया जाना चाहिए था। जो भारतीय कपास निगम द्वारा नही किया जा रहा है। जिससे मंडी बोर्ड एंव मंडी समिति द्वारा जारी आदेशो की अवेहलना की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि हमारे आवेदन पर गोर कर मंडी नियमावुसार कार्यवाही कर हमारा परिश्रमिक भुगतान जल्द से जल्द करवाने की कृपा करेंगें। यही विनय है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Sandeep ji

तुलावटी संघ
कृषि उपज मंडी समिति
खरगोन म.प्र.
सुनिल माली

Put up

प्रतिलिपी:-
(1) संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला खरगोन (म.प्र) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) श्रीमान भार साधक अधिकारी महोदय, (कृ.उ.म.स) जिला खरगोन ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) श्रीमान सचिव महोदय, (कृ.उ.म.स.) खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 406 दिनांक 22/11/23
शाखा JD (नियमन)

AD 10

25/11/23

तुलावटी संघ
कृषि उपज मंडी समिति
खरगोन म.प्र
सुनिल माली

मुख्य सचिव म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक 313 (अ.शा.) दिनांक 01 मार्च 1973 ए
प्रशासन विभाग के अनुगामी आदेशानुसार संघ के पत्रों का ...

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर

क्रमांक/नियमन/2020–21/4451
प्रति,
इन्दौर, दिनांक 22/11/21

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
इन्दौर संभाग समस्त

विषय :– कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि उपज की तौल के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 अंर्तगत उपविधि 2000 की कंडिका 17 में अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रकिया उल्लेखित है जिसमें कंडिका 17(1) में दिये प्रावधान अनुसार "घोष विक्रय में क्रय की गई समस्त कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा मण्डी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जावेगी " तथा कंडिका 17 (2) में सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जायेगी ।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका अनुसार कृषि उपज के तौल की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

22/11/21
संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
इन्दौर

क्रमांक/नियमन/2020–21/4452 इन्दौर, दिनांक 22/11/21
प्रतिलिपि – प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

22/11/21
संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
इन्दौर

5. उपविधि सन् 2000 में हम्माल तुलावटी के पारिश्रमिक, उपविधि में स्थापित समिति द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में पृथक-पृथक स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

जिला स्तर पर भी समीप की मंडियों की दरें युक्तियुक्त कर, सभी पक्षों से चर्चा कर, निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान रखा जावे कि दर समीप की मंडियों व क्षेत्र की वर्तमान दर से अधिक न होने पाए।

6. तुलावटी हम्माल प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी क्षेत्र के हम्माल, तुलावटी, कृत्यकारी, पारिश्रमिक दर निर्धारण हेतु उपविधि द्वारा जो समिति गठित की गई है, उसमें हम्माल तथा तुलावटी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अतः पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा यथासंभव तुलावटी-हम्माल प्रतिनिधि को बुलाया जाना चाहिए।

7. कृषि उपज मंडी समिति में अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी से तौल किया जाना मंडी अधिनियम की धारा 17(2) (उन्नीस) के तथा उपविधि 17(1) के अनुसार होने से निकासी एवं सौदा पत्रक से विक्रय होने वाली समस्त तुलाई, अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी द्वारा की जाना आवश्यक होने से उनकी ड्यूटी चक्र पद्धति से लगाई जाना चाहिए।

8. कृषि उपज मंडी समिति में हम्माल एवं तुलावटी को उनको प्राप्त पारिश्रमिक से ही कुछ अंश प्रतिदिन प्राप्त पारिश्रमिक से 5% कटौत्रा कर, हम्माल तुलावटीगण को प्रेरित कर उनका सामूहिक ग्रुप बीमा कराने हेतु, संबंधित एजेन्सियों से समन्वय किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जावें।

05/10/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./नियमन/कपास/43/2023 | 3126 भोपाल, दिनांक 02/11/2023

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
खरगौन, खेतिया, भीकनगॉव, बड़वाह।

विषय :- भारतीय कपास निगम द्वारा उपार्जित कपास की तौल के संबंध में।

संदर्भ :- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, खरगौन का भारतीय कपास निगम को संबोधित पत्र क्रमांक 1249 दिनांक 26.10.2023

कृषि उपज मंडी प्रांगण में विक्रय के दौरान अधिसूचित कृषि उपज कपास के भाव कम होने पर, भारतीय कपास निगम द्वारा हस्तक्षेप करते हुए, कृषकों को कपास का उचित दाम दिलाने हेतु एफ.ए.क्यू. क्वालिटी के कपास का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है।

मंडी अधिनियम अंतर्गत निर्मित उपविधि की कंडिका 18 अंतर्गत प्रावधान अनुसार कपास का प्रत्येक क्रेता के लिए उसके द्वारा क्रय की गई कपास की तौल स्वयं के द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्त अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक तौलकांटे पर तौल कराना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार कपास की तौल न केवल भारतीय कपास निगम द्वारा अनुबंधित जिनिंग फैक्ट्री पर की जाती है बल्कि अन्य कपास क्रेताओं द्वारा भी कपास की तौल जिनिंग फैक्ट्री/ बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटों पर की जाती है। यह स्पष्ट है कि कपास की तौल छोटे तौलकांटों पर किया जाना प्राय: संभव नहीं है।

मंडी सचिव खरगौन के संदर्भित पत्र में मुख्यालय मंडी बोर्ड के जिस आदेश क्रमांक 702 दिनांक 07.11.2020 का उल्लेख है वह अधिसूचित कृषि उपज - गेहूं, चना, मसूर, सरसों, मूंग, उड़द, धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली शासकीय एजेन्सी द्वारा उपार्जित उपज की छोटे इलेक्ट्रानिक तौलकांटे पर तौल किये जाने के संबंध में है, जिसकी गणना हेतु प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है, जो कि कृषि उपज मंडियों में बड़े तौलकांटों पर तुलाई होने पर बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटों (वेब्रिज) हेतु निर्धारित दर से भिन्न है।

अतः उपरोक्तानुसार भारतीय कपास निगम द्वारा कपास के उपार्जन की तौल संबंधित अनुबंधित जिनिंग फैक्ट्री में बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे (वेब्रिज) पर होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन करने वाली शासकीय एजेन्सी को भारत सरकार से भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित दर संबंधी बोर्ड मुख्यालय का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 702 दिनांक 07.11.2020 तथा वर्तमान मे जारी आदेश क्रमांक 3745 दिनांक 25.08.2023 से अप्रासंगिक होने से भारतीय कपास निगम द्वारा जाने वाली कपास उपार्जन के लिए लागू नहीं है।

02/11/23
(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./नियमन/कपास/43/2023/3927 — भोपाल, दिनांक 02/11/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2- संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा।

3- महाप्रबंधक, भारतीय कपास निगम, इंदौर।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल